



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102026-276966
CG-DL-E-09102026-276966

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5313]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 2026/आश्विन 16, 1948

No. 5313]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2026/ASVINA 16, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5525(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा यह समाधान हो जाने पर कि गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-751 (NH-751), अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे के आरंभिक बिंदु पर इंटरचेंज और रास्ते में मिलने वाली सुविधाएं (NH-751 का खंड) के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित है, अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर, उक्त प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण अधिकारी, पहली मंज़िल, आपदा प्रबंधन भवन, कलेक्टर कार्यालय परिसर, सुभाष ब्रिज सर्कल, अहमदाबाद के समक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी तथा उसमें आपत्ति के आधार स्पष्ट रूप से उल्लिखित किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी

विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा तथा आपत्तियों की सुनवाई एवं आवश्यक समझी जाने वाली अन्य जाँच के उपरांत आदेश द्वारा उन आपत्तियों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक एवं अन्य विवरण सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे तथा हितवद्ध व्यक्ति कार्यालय समय में उनका अवलोकन कर सकेंगे।

अनुसूची

गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-751 (NH-751) के अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे के आरंभिक बिंदु पर इंटरचेंज और रास्ते में मिलने वाली सुविधाएं (एनएचएस-751 का खंड) अर्जित की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: अहमदाबाद		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सानंद					
गांव का नाम: सनाथल					
1	321	निजी	(कृषि/ गैर-कृषि)	0.0316 (हेक्टेयर)	0.0316
2	326	निजी	(कृषि/गैर-कृषि)	1.0858 (हेक्टेयर)	1.0858
तालुक का नाम: दसक्रोई					
गांव का नाम: विशालपुर					
3	945	निजी	कृषि	1.9298 (हेक्टेयर)	1.9298
4	947	निजी	कृषि	0.6182 (हेक्टेयर)	0.6182
5	948	निजी	कृषि	0.2472 (हेक्टेयर)	0.2472
तालुक का नाम: धोलका					
गांव का नाम: करियाणा					
6	279	निजी	कृषि	0.1879 (हेक्टेयर)	0.1879
तालुक का नाम: वेजलपुर					
गांव का नाम: फतेहवाडी					
7	153	निजी	(कृषि/ गैर-कृषि)	0.0177 (हेक्टेयर)	0.0177
8	155	निजी	कृषि	0.0314 (हेक्टेयर)	0.0314
गांव का नाम: बद्राबाद					
9	27	निजी	कृषि	1.1567 (हेक्टेयर)	1.1567
10	28	निजी	कृषि	1.2698 (हेक्टेयर)	1.2698
11	36	निजी	कृषि	0.243 (हेक्टेयर)	0.243
12	37	निजी	कृषि	0.4053 (हेक्टेयर)	0.4053
13	38	निजी	कृषि	0.1862 (हेक्टेयर)	0.1862

14	39	निजी	कृषि	0.0693 (हेक्टेयर)	0.0693
15	40 P	निजी	कृषि	7.8307 (हेक्टेयर)	7.8307
16	41	निजी	कृषि	0.7333 (हेक्टेयर)	0.7333
17	42	निजी	कृषि	0.0245 (हेक्टेयर)	0.0245
18	43	निजी	गैर-कृषि	0.0688 (हेक्टेयर)	0.0688
Total					16.1372

[फा. सं. NHAI/Bharatmala/Expressway/Ahmedabad-Dholera/2018/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th October, 2026

S.O. 5525(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Interchange at starting point of Ahmedabad-Dholera Expressway and way side amenities (section of NH-751) in the District of Ahmedabad in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made in writing to the Competent Authority, namely, Additional Special Land Acquisition Officer, 1st floor, Disaster Management Building, Collector office Compound, Subhash Bridge Circle, Ahmedabad, and shall set out the grounds thereof. The Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as it considers necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land proposed to be acquired under this notification are available for inspection by the interested persons at the office of the aforesaid Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, for National Highway No. 751 (NH-751) Interchange at starting point of Ahmedabad-Dholera Expressway and way side amenities (section of NH-751) in the District of Ahmedabad in the State of Gujarat.

State: GUJARAT			District: AHMEDABAD		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Sanand					
Village: Sanathal					
1	321	Private	(Agriculture/ Non Agriculture)	0.0316 (Hectare)	0.0316
2	326	Private	(Agricultural/Non- Agricultural)	1.0858 (Hectare)	1.0858
Taluk: Daskroi					
Village: Visalpur					
3	945	Private	Agriculture	1.9298 (Hectare)	1.9298
4	947	Private	Agriculture	0.6182 (Hectare)	0.6182

5	948	Private	Agriculture	0.2472 (Hectare)	0.2472
Taluk: Dholka					
Village: Kariyana					
6	279	Private	Agriculture	0.1879 (Hectare)	0.1879
Taluk: Vejalpur					
Village: Fatehwadi					
7	153	Private	(Agricultural/Non- Agricultural,)	0.0177 (Hectare)	0.0177
8	155	Private	Agriculture	0.0314 (Hectare)	0.0314
Village: Badrabad					
9	27	Private	Agriculture	1.1567 (Hectare)	1.1567
10	28	Private	Agriculture	1.2698 (Hectare)	1.2698
11	36	Private	Agriculture	0.243 (Hectare)	0.243
12	37	Private	Agriculture	0.4053 (Hectare)	0.4053
13	38	Private	Agriculture	0.1862 (Hectare)	0.1862
14	39	Private	Agriculture	0.0693 (Hectare)	0.0693
15	40 P	Private	Agriculture	7.8307 (Hectare)	7.8307
16	41	Private	Agriculture	0.7333 (Hectare)	0.7333
17	42	Private	Agriculture	0.0245 (Hectare)	0.0245
18	43	Private	Non Agriculture	0.0688 (Hectare)	0.0688
Total					16.1372

[F. No. NHAI/Bharatmala/Expressway/Ahmedabad-Dholera/2018/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director